



2026:AHC:128476

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या :19751 वर्ष 2026

दानिश

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अमरजीत उपाध्याय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. आज दाखिल किए गए पूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 198 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 8/21बी मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना- ब्रह्मपुरी, जिला- मेरठ, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के कब्जे से बरामद दिखाए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा 11.60 ग्राम स्मैक है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। दलील यह है कि पुलिस ने अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर इस मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। अभियोजन पक्ष की कहानी और कथित बरामदगी की सत्यता को चुनौती देते हुए अन्य तर्क भी प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

।



किए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के सांविधिक प्रावधानों का अक्षरशः और सच्ची भावना से पालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की विधिक वैधता दूषित हो जाती है। अधिवक्ता ने उन परिस्थितियों को भी दर्शाने का प्रयास किया है जो आवेदक को झूठा फंसाए जाने की ओर इशारा करती हैं। अभियुक्त की ओर से दी गई बहसों के दौरान अभियोजन के पीछे दुर्भावना का भी तर्क दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.5.2026 से कारागार में है और आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ-पत्र के पैरा संख्या 2 में भली-भांति स्पष्ट कर दिया गया है।

5. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, आपराधिक पूर्ववृत्त के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक जमानत दिए जाने का आधार बनाने में सफल रहा है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आदेश दिया जाता है कि आवेदक- **दानिश**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक: 22 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।